# प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

**प्रशासनिक आदेश संख्या : 114/2020, दिनांक–13.05.2020**

## आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1091/IV-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–05.05.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दिनांक–08.05.2020 से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कक्ष से वर्चुअल कोर्ट के माध्यम कार्य करने हेतु खोले जा रहे न्यायालयों के लिए टाइम स्लॉट प्रशासनिक आदेश सं0–97/2020, दिनांकित–07.05.2020 द्वारा निर्धारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में जमानत प्रार्थना–पत्र व अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा आवश्यक प्रार्थना–पत्रों की सुनवाई हेतु ही निर्देशित किया गया है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त हो रहे आवेदन–पत्रों की संख्या के दृष्टिगत् वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कक्ष से वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कार्य करने हेतु निम्न वर्णित न्यायालयों में सुनवाई किये जाने हेतु निम्न संशोधित टाईम स्लाट निर्धारित किए जाते हैः–

| | |
|---|---|
| 1. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी, | **10.30 से 11.15 AM** |
| 2. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,(पॉक्सो एक्ट), सम्भल स्थित चन्दौसी, | **11.15 से 12.00 PM** |
| 3. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भाल स्थित चन्दौसी। | **12.00 से 12.45 PM** |
| 4. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप केसेस एवं पॉक्सो एक्ट),/ विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट/एस0सी0एस0टी0 एक्ट/ गैंगस्टर एक्ट, सम्भल स्थित चन्दौसी, | **12.45 से 01.30 PM** |

यह आदेश दिनांक–14.05.2020 से प्रभावी होगा।

उपरोक्त वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण उनके न्यायालय के सम्मुख अंकित टाइम स्लॉट के अनुसार न्यायिक कार्य करने हेतु, अग्रिम आदेश तक, प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित होंगे।

इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

(हस्ताक्षर)
(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त संबंधित न्यायिक अधिकारीगण,
2. अध्यक्ष, चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
3. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
4. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

(हस्ताक्षर)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।